

न्यायालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर (म0प्र0)

आदेश

क्रमांक / / सीजेएम / 20

जबलपुर, दिनांक 02.09.2020

सार्वजनिक अवकाश के दिनों में 03 से 05 बजे तक रिमाण्ड कार्य निष्पादित करने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है। कॉलम नम्बर दो में दर्शाये गए न्यायिक मजिस्ट्रेट नियत दिनांक पर अपने स्टाफ सहित दोपहर 03 से 05 बजे तक स्वयं के न्यायालय में उपस्थित होकर सभी न्यायालय के रिमाण्ड कार्य जो उक्त दिनांक को प्रस्तुत किए जावेंगे, निष्पादित करें :-

| क्रमांक | न्यायिक मजि0 का नाम | अवकाश दिनांक |
|---------|---------------------|--------------|
| 1 | 02 | 03 |
| 1 | श्री अरविंद सिंह | 06.09.2020 |
| 2 | श्री देवदत्त | 13.09.2020 |
| 3 | श्री गंजुल सिंह | 17.09.2020 |
| 4 | श्री राहुल जैन | 19.09.2020 |
| 5 | श्री बलवीर सिंह | 20.09.2020 |
| 6 | श्री पन्ना नागेश | 27.09.2020 |

सिहोरा न्यायालय

| क्र0 | मजिस्ट्रेट का नाम | | | |
|------|---------------------------|----------|----------|----------|
| 1 | श्री दिनेश कुमार प्रजापति | 06.09.20 | 17.09.20 | 20.09.20 |
| 2 | श्रीमती मृणालिनी सिंह | 13.09.20 | 19.09.20 | 27.09.20 |

पाटन न्यायालय-

| क्र. | मजिस्ट्रेट का नाम | | |
|------|---------------------|----------|----------|
| 1 | सुश्री उर्मिला यादव | 06.09.20 | 19.09.20 |
| 2 | श्री धनकुमार कोडोपा | 13.09.20 | 20.09.20 |
| 3 | श्री आदिल अहमद खान | 17.09.20 | 27.09.20 |

- 1- यदि किसी कारणवश संबंधित न्यायिक मजि0 जबलपुर नियत दिनांक को रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ रहते हैं और रिमांड ड्यूटी हेतु आपसी सहमति से परिवर्तित करते हैं, तो दोनों न्यायिक मजिस्ट्रेट को हस्ताक्षरित सूचना समय पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेंगे।
- 2- यदि किसी कारणवश सूची में दर्शित उपरोक्त तिथि में सार्वजनिक अवकाश निरस्त कर उसके स्थान पर अन्य अवकाश तिथि निर्धारित की जाती है तो जिस तिथि को न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी थी वह न्यायिक मजिस्ट्रेट घोषित नयी अवकाश तिथि पर रिमांड ड्यूटी करेंगे।
- 3- यदि किसी कारणवश सूची में दर्शित तिथि के अलावा अन्य सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाता है तो उक्त दिनांक को **श्री अमनदीप सिंह छावड़ा जे.एम.एफ.सी.** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर रिमाण्ड कार्य निष्पादित करेंगे। यदि किन्हीं कारणवश **श्री अमनदीप सिंह छावड़ा जे.एम.एफ.सी.** जबलपुर भी अवकाश पर रहते हैं तो **सुश्री स्वाति राहौरा जे.एम.एफ.सी.** जबलपुर, रिमाण्ड कार्य निष्पादित करेंगे।
- 4- रिमांड न्यायालय अपने न्यायालय की रिमाण्ड ड्यूटी जिस दिनांक को, की जानी है, उसकी सूचना अपने न्यायालय के रिमाण्ड पेनल सूची के अधिवक्ताओं को दें।

1.

(वरुण पुनासे)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

प्रतिलिपि-

- 1- माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 2- श्री जे.एम.एफ.सी. सिहोरा/पाटन/जबलपुर।
- 3- जिला नाजिर, जबलपुर।
- 4- सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर
- 5- सचिव, तहसील अधिवक्ता संघ, पाटन/सिहोरा जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(वरुण पुनासे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर